Unit-V

Rale of Courts-the Supreme court, High Courts and others courts

National Human Rights Commission

National Human Rights for Minorities

National commission for Women

National Commission for Backward classes

National Commission for Scheduled castes and Scheduled tribes

Acts, etc

The charter of UNO

The Universal Declaration Human Rights 1948

The Protection of Human Rights 1993

Scanned with CamScanner

# राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Right Commission (NHRC)

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन - धारा 3 के अनुसार

केन्द्र सरकार एक ऐसे निकाय का गठन करेगी जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से जाना जायेगा। आयोग मे आठ सदस्य होंगे और उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का सदस्य है, या न्यायाधीश रहा है। एक सदस्य, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या मुख्य न्यायाधीश रहा है, दो सदस्य जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों मे से की जायेगी जिन्हे मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलो का ज्ञान हो, या उसमे व्यावहारिक अनुभव हो।, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे।

धारा 4 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जायेगी।

धारा 6 के अनुसार सदस्यो की पदावधि - अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। वे दूसरी पदावधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए भी अर्ह होंगे। परन्तु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद को धारण नही करेगा। आयोग का एक महासचिव होगा जो अपने कार्यो का निर्वहन स्वयं को दी गयी शक्तियो को ध्यान मे रखकर करेगा। आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को उसके पद से हटाये जाने से सम्बन्धित प्रावधान धारा 5 में बनाये गये है। आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उस समय हटाया जा सकता है जब वह SC द्वारा की गयी जाँच के बाद यह रिपोर्ट देने पर कि अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी अन्य सदस्य को कदाचार (misbehaviour) अथवा अक्षमता के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है यदि वह (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो अथवा (ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के

Scanned with CamScanner

कर्तव्यो के अतिरिक्त किसी वैतनिक नियोजन में संलग्न रहा हो; अथवा (घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त (Unsound mind) घोषित कर दिया गया हो; अथवा (ङ) उसे ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दण्डित किया गया हो जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक चरित्रहीनता घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो। आयोग का अध्यक्ष या कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को लिखित रूप से नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकता है।

अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा, पाँच वर्ष का होगा धारा 11 के अनुसार आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी - भारत सरकार के सचिव की रैंक का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, तथा आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए ऐसे पुलिस और अन्वेषणकर्ती कर्मचारियों को उपलब्ध करायेगी जिसे वह आवश्यक समझेगी। आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक कर्मचारी वृन्द (Staff) की नियुक्ति कर सकेगा जिसे वह इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गीत नियमों से अभिपुष्ट होकर आवश्यक समझेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा आयोग केन्द्र सरकार की अनुमति लेकर भारत के अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा धारा 3(5)।

## आयोग के कार्य (Function of the Commission)

आयोग के कार्य अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये है जो निम्नलिखित हैं -

(1) आयोग स्वप्रेरणा (Suo motu) से अथवा पीड़ित व्यक्ति द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत की गयी याचिका पर (क) मानव अधिकार के उल्लंघन या उसके लिये प्रेरित करने के लिये अथवा (ख) किसी लोकसेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन के निवारण में की गयी उपेक्षा के परिवाद की जाँच करेगा

(2) आयोग न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी ऐसी कार्यवाही पर न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई अभिकथन अंतर्ग्रस्त हो।

Scanned with CamScanner

(3) आयोग राज्य सरकार को सूचना देकर राज्य सरकार के नियंत्रण मे रहने वाले किसी कारागार अथवा अन्य किसी संस्था का, जहाँ व्यक्तियो को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए निरुद्ध किया जाता है, अंतः वासियो के रहन सहन की स्थितियो का अध्ययन करने के लिए तथा उस पर सिफारिश करने के लिए निरीक्षण करेगा।

(4) आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रावधानित संरक्षणों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायो की सिफारिश करेगा।

(5) आयोग आतंकवाद की कार्यवाहियों सहित उन सब कारकों का पुनर्विलोकन करेगा जो किसी के मानव अधिकार एवं उस समय लागू संरक्षणो के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करते है तथा उपयुक्त सिफारिश भी करेगा।

(6) आयोग मानव अधिकार से सम्बन्धित संधियो एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतो का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करेगा।

(7) आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र मे शोध करेगा तथा शोध कार्य को बढावा देगा।

(8) आयोग समाज के विभिन्न वर्गो के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा उन अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध जानकारी एवं संरक्षणो की अभिवृद्धि प्रकाशन, समाचार माध्यम, सेमिनारों एवं अन्य उपलब्ध संसाधनो के माध्यम से करेगा।

(9) आयोग मानव अधिकारो के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओ एवं गैर-सरकारी संगठनो के प्रयासो को प्रोत्साहित करेगा

(10) आयोग ऐसे अन्य कार्यो को भी करेगा जिन्हे वह मानव अधिकारो की अभिवृद्धि हेतु आवश्यक समझेगा।

(11) आयोग केन्द्र सरकार एवं सम्बन्धित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (धारा 20)

(12) आयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनु० 32 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में जारी किये गये निर्देशो के अनुसरण में कार्य करेगा।

Scanned with CamScanner

आयोग की शक्तियाँ (Power of the Commission) धारा 13 के अनुसार आयोग, इस अधिनियम के अधीन शिकायतो की जांच करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में प्राप्त होंगी
(क) साक्षियो को बुलाने के लिए समन करना एवं प्रवर्तित करने और शपथ पर परीक्षण करने, (ख) किसी दस्तावेज का पता लगाने एवं प्रस्तुत करने
(ग) शपथ पत्रो पर साक्ष्य लेने
(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिये अधियाचना करना।
(ङ) साक्षियों या दस्तावेजो की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
(च) अन्य कोई मामला जो विहित किया जायेगा।
(2), भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176, 177
(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100.
(4) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, 178, 179, 180, 228 और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 346
(5) I.P.C धारा 193 व 228, 196, P.C 1973 की धारा 195 एवं अध्याय XXVI

आयोग की अन्वेषण करने की शक्ति – धारा 14 के अनुसार आयोग शिकायतों का अन्वेषण करते समय निम्नलिखित जाँच करता है –
(1) आयोग केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या एजेंसी की सेवाओं का उपयोग केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की अनुमति से करेगा
(2) अधिकारी या एजेंसी जिसकी सेवाओं का उपयो किया जाता है आयोग के नियंत्रणाधीन जाँच होगी साथ ही साथ, आयोग –
(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा तथा उसकी उपस्थिति को प्रवर्तित कर सकेगी एवं उसकी परीक्षा कर सकेगी
(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने एवं प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा
(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए अधियाचना कर सकेगा।

Scanned with CamScanner

# राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम - 1990
## (The National Commission for Women Act, 1990)

यह अधिनियम राष्ट्रीय महिला आयोग गठित करने के लिये और इससे सम्बन्धित अथवा संपार्श्विक मामलों के बारे में उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया है।

अधि० की धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्न प्रकार से होगा -

**अध्यक्ष** - जो केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित की जायेगी।

**अन्य सदस्य** - अन्य 5 सदस्य होंगे उन्हे केन्द्र सरकार नामांकित करेगी। इन पाँच सदस्यो में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा।

**कार्यकाल (धारा 4)** :- अधि० की धारा 4(i) के अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यो का कार्यकाल वह होगा जिसे केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करे परन्तु यह 3 वर्षो से अधिक नही होगा।

**राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ (धारा 10)** -

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निम्नलिखित होंगे -

(क) संविधान तथा अन्य विधियों मे महिलाओं के लिये सुरक्षाओं से सम्बन्धी सभी मामलो की खोजबीन एवं जाँच करना;

(ख) इन सुरक्षाओ के कामकाज की वार्षिक तथा अन्य रिपोर्ट जो ऐसे समय में कमीशन उचित समझे, केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना;

(ग) महिलाओ की दशाओ मे सुधार करने हेतु इन रिपोर्ट मे उक्त सुरक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सस्तुतिया देना;

(घ) समय-समय पर महिलाओ को प्रभावित करने वाले संविधान एवं अन्य विधियो के उपबन्धो का परीक्षण करना तथा विधायनी उपाय मे कमी या अनुपयुक्तता के बारे मे संशोधन की संस्तुति देना;

(ङ) महिलाओ से सम्बन्धित संविधान तथा अन्य विधियो के उपबन्धों के उल्लंघनो को उपयुक्त प्राधिकारियो के सम्मुख ले जाना;

(च) स्वयं निम्नलिखित शिकायतो को देखना;

(i) महिलाओ के अधिकारो को वंचित किया जाना;

(ii) महिलाओ के संरक्षण के लिये बनाई गई विधियो का कार्यान्वयन न होना तथा समानता एवं विकास के उद्देश्य की प्राप्ति;

Scanned with CamScanner

(iii) महिलाओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये तथा महिलाओं को अनुतोष प्रदान करने के उद्देश्य से सम्बन्धित नीति निर्णय, मार्गदर्शनों या निर्देशों का अनुपालन न होना; तथा ऐसे मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास ले जाना।

(इ) महिलाओं के साथ भेदभाव एवं अत्याचारों से उत्पन्न विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों पर विशेष अध्ययन या खोजबीन करना जिससे उनके हटाये जाने के लिए रणकौशल की संस्तुतियां दी जायें;

(ई) प्रोन्नति एवं शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान करना जिससे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके तथा उनकी उन्नति में बाधा पहुँचाने वाले तथ्यों या कारणों को पहचाना जा सके;

(उ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना की प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना;

(ऊ) संघ तथा किसी राज्य की महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ए) जेल एवं प्रतिप्रेषण गृह की जाँच करना या करवाना; तथा महिलाओं की संस्था या हिरासत के अन्य स्थान जहाँ महिलायें कैदी के रूप में या अन्यथा रखी जाती है की जाँच करना या करवाना तथा उपचार की कार्यवाही करवाना तथा उपचार की कार्यवाही के लिये मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के पास ले जाना;

(ठ) मुकदमेबाजी से सम्बन्धित मसलों जिनसे बड़ी संख्या में महिलायें प्रभावित होती है उन्हें फंड करना;

(ड) महिलाओं से सम्बन्धित किसी भी मामले, विशेषकर महिलाओं की अनेक कठिनाइयों की अवधिक रिपोर्ट सरकार को देना

(ढ) कोई अन्य मामले जो केन्द्र सरकार इसे निर्देशित करे।

कमीशन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि केन्द्र सरकार को भेजेगी। केन्द्रीय सरकार कमीशन की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखवायेगी। केन्द्रीय सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी प्रमुख नीतियों के बारे में कमीशन से सलाह करेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के संरक्षण तथा उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहा तथा यह अपनी उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल भी रहा है।

नोट - मानवाधिकार संरक्षण अधि॰ 1993 की धारा 2अ में महिला आयोग को परिभाषित किया गया है

# राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग (National Commission for Minorities) -

भारतीय संविधान के भाग 3 के अनु० 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण सम्बन्धित मौलिक अधिकार उपबंधित है कि भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसी प्रकार अनु० 29 (2) कहता है कि :
राज्य द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जायगा।
अनु० 30(1) अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार -
(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्प संख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा
(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।
इसके अतिरिक्त भी संविधान के कतिपय ऐसे प्रावधान है जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण से सम्बन्ध रखते है।
अनु० 347, अनु० 350

अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने की संकल्पना के और आगे बढ़ाते हुये, भारतीय संसद ने 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, (The National Commission for Minorities Act), 1992 पारित किया। और इस अधि० को राष्ट्रपति की सम्मति 17-5-1992 को प्राप्त हुई इस प्रकार यह अधि० लागू हो गया।

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

यह अधिनियम अल्पसंख्यकों के लिये राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उससे सम्बन्धित अथवा उससे संपार्श्विक मामलों के बारे में उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया है।

**अल्पसंख्यक आयोग -गठन-** अधिनियम की धारा 3 के अनुसार एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किये जाने का प्रावधान है आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्यों से मिलकर गठित होता है। ऐसे सदस्य (जिसमें उपाध्यक्ष भी सम्मिलित हैं) (अध्यक्ष समेत उपाध्यक्ष समेत पाँच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों के होंगे) प्रख्यात, क्षमतावान और निष्ठावान व्यक्ति होते है, जिन्हे केन्द्रसरकार नाम निर्दिष्ट करती है।

धारा 4 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

अध्यक्ष एवं सदस्यो को धारा 4-(3) के प्रावधानो के अनुसार हटाया भी जा सकता है। अर्थात अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से तभी हटाया जा सकता है यह वह व्यक्ति -

(i) पूर्णरूप से दिवालिया हो जाता है;
(ii) ऐसे अपराध के लिए जिसमे नैतिक अधमता अन्तर्वलित है दोषसिद्ध ठहराया जाता है और दण्डित किया जाता है
(iii) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित घोषित कर दिया जाता है;
(iv) कार्य करने से इनकार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है
(v) आयोग से बिना छुट्टी प्राप्त किये आयोग की तीन लगातार बैठको से अनुपस्थित रहता है; अथवा
(vi) अध्यक्ष या सदस्य अपनी प्रास्थिति का दुरुपयोग करता है और उसका अपने पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों अथवा लोक हित के विरुद्ध है।

किन्तु कोई व्यक्ति धारा 4 खण्ड (3) के अन्तर्गत तब तक पद से हटाया नही जायेगा जब तक कि उसे मामले मे सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलने के बाद ही उसे हटाया जायेगा।

Scanned with CamScanner

## आयोग के कार्य (Function of the Commission)

आयोग निम्नलिखित कार्यों में से सभी अथवा किसी को सम्पन्न कर सकेगा - धारा 9

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास के सम्बन्ध में प्रगति का मूल्योकन करना,

(ख) संविधान तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों में उपबंधित सुरक्षाओं के कार्यों की निगरानी करना;

(ग) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अल्प संख्यकों के हितों के संरक्षण के लिये रक्षोपायों के प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु संस्तुतियां देना;

(घ) अल्पसंख्यकों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचितीकरण से सम्बन्धित विशिष्ट परिवादों को देखना तथा ऐसे मामलों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाना,

(ङ) अल्पसंख्यक के विरुद्ध विभेद से उत्पन्न समस्याओं के बारे में विशेष अध्ययन करना तथा उनके निराकरण हेतु उपाय सुझाना,

(च) अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास से सम्बन्धित मामलों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण करना,

(छ) किसी अल्पसंख्यक के बारे में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले समुचित उपायों के बारे में सुझाव देना

(ज) अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित किसी मामले पर और विशेषतः उनके द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के बारे में सामयिक तथा विशेष रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रेषित करना, तथा

(झ) कोई अन्य मामला जो केन्द्र सरकार द्वारा उसे विनिर्दिष्ट किया जा सके।

**आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां** - आयोग को उपरोक्त खण्ड (क) (ख) और (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले की जांच करते समय किसी वाद के विचारण में और विशेषरूप से निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियां प्राप्त होंगी

(क) भारत के किसी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं शपथ पर उसका परीक्षण करना,
(ख) किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने एवं खोज करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,
(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्रस्तुत करना
(घ) किसी लोक अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से अध्युपेक्षा (माँग) करना,
(ङ) साक्षियों एवं दस्तावेज के परीक्षण हेतु आदेश जारी करना, और
(च) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

**वार्षिक प्रतिवेदन (रिपोर्ट)** आयोग ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय जो विहित किया जाय, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिससे पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण देगा तथा उसकी एक प्रतिलिपि केन्द्र सरकार को अग्रसारित करेगा।
केन्द्र सरकार ऐसे वार्षिक रिपोर्ट को, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

**अल्पसंख्यकों के अधिकार** - गैर मूल- अधिकार क्षेत्र में,
- एलाइस जैकब (माइनारिटीज एण्ड ला 1971) के अनुसार अल्पसंख्यकों के तीन समस्या क्षेत्र हैं जो निम्न हैं:

(i) अपनी मातृभाषा मे शिक्षण का अधिकार; अनु॰ 29, 30, अनु॰ 350 क, ख
(ii) शासकीय प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक की भाषा का प्रयोग; और अनु॰ 345, 346, 347
(iii) राज्य सेवाओं मे अल्पसंख्यकों की नियुक्ति अनु॰ 16(1) (2) (3)

नोट- मानवाधिकार संरक्षण अधि॰ 1993 की धारा 2 (ज) मे अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की परिभाषा दी गई है

Scanned with CamScanner

# अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लिये राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व-स्थिति को देखते हुये भारतीय संविधान के निर्माताओ को दुर्बल वर्ग के लोगो, जिन्हे सदियो से सताया तथा दबाया गया है का विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगो एवं सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिको का विशेष ध्यान था। यह बात संविधान के कई अनु० मे प्रतिबिम्बित होती है। शैक्षणिक संस्थाओ मे आरक्षण अनु० 15(4) तथा लोक सेवाओं मे आरक्षण अनु० 16(1), 16(4), 16(4क), लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओ मे आरक्षण अनु० 330, 332 और 334, अनुसूचित जनजातियो के लिये अतिरिक्त रक्षोपाय अनु० 19(5), 275, 339(2), 164, 335, 19(ङ) और (झ) और भारत के संविधान की अनुसूचि पाँच और छः भी अनुसूचित जनजाति के बारे में उपबन्ध करती है। और अनु० 341 मे अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जनजातिया अनु० 342 मे है।

संविधान के 65 वें संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनु० 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लिये एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का उपबन्ध है। यह राष्ट्रीय आयोग स्थापित भी कर दिया गया और कार्य भी कर रहा था। लेकिन संविधान के 89 वाँ संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और इस कमीशन को दो भागो मे विभाजित कर दिया गया अनु० 338 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनु० 338-क के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित कर दिया गया इसके पीछे इन दोनो की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक असमानता होने कारण किया गया ताकि अधिक से अधिक संरक्षण दिया जासके और समाज के मुख्य धारा मे लाया जासके।

Scanned with CamScanner

**राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनु० 338** (1) अनुसूचित जातियों के लिये एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

**आयोग का गठन - अनु० 338** (2) संसद द्वारा इस निमित्त बनायी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किये गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

**आयोग के कार्य (Function of the Commission) अनु० 338(5)**

आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) अनुसूचित जातियों के लिए रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उसपर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे;

(च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

Scanned with CamScanner

## आयोग की प्रक्रिया और शक्ति (Procedure and Power)

अनु॰ 338(4) आयोग को अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने की अर्थात प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

अनु॰ 338(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे मे जाँच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात :-

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

अनु॰ 338(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषय पर आयोग से परामर्श करेगी।

नोट- मानव अधिकार संरक्षण अधि॰ 1993 की धारा 2(ञ) मे अनुसूचित जातियो एवं अनुसूचित जनजातियो के लिए राष्ट्रीय आयोग- जो संविधान के अनु॰ 338 और 338क से को परिभाषित किया गया है

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-अनु० 338क.

(1) अनुसूचित जनजातियो के लिए एक आयोग हो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

**आयोग का गठन** अनु० 338-क (2) संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धो के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यो से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किये गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यो की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षरण और मुद्रासहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्यसदस्यो को नियुक्त करेगा।

**आयोग के कर्त्तव्य** अनु० 338-क-(5) आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -

(क) अनुसूचित जनजातियो के लिए रक्षोपायो से सम्बन्धित सभी विषयो का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायो का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जनजातियो को उनके अधिकारो और रक्षोपायो से वंचित करने बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतो की जाँच करे;

(ग) अनुसूचित जनजातियो के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उनरक्षोपायों के कार्यकरण के बारे मे प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनो में उन उपायो के बारे में, जो अनु रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने चाहिये तथा अनुसूचित जनजातियो के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अन्य उपायो के बारे में सिफारिश करे;

Scanned with CamScanner

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

## आयोग की प्रक्रिया और शक्ति (Procedure and Power)

अनु० 338-क (4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति [illegible] होगी।

अनु० 338-क (8) आयोग को खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जाँच करते समय विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वे सभी शक्तियाँ होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है अर्थात

(क) भारत के किसी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे;

अनु० 338-क (9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

Scanned with CamScanner

## राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward classes) – 2018

भारत के संविधान के अनु० 15(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्था या इनमे से किसी के आधार पर को विभेद नही करेगा

अनु० 15(4) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29(2) मे कुछ भी राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिको या अनुसूचित जातियो एवं अनुसूचित जनजातियो की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने से नही रोकेगा।

अनु० 16(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिको के लिए अवसर की समता होगी।

अनु० 16(4) के अनुसार राज्य को पिछड़े हुए नागरिको के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं मे पर्याप्त नही है, नियुक्ति या पदो के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नही करेगी।

अनु० 340 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिको की दशाओ की खोज बीन करने तथा उनके द्वारा जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसे दूर करने के लिए उपायों की संस्तुति देने हेतु एक आयोग नियुक्त कर सकता है।

संविधान के 102वे संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनु० 338B जोड़ा गया जो पिछड़े वर्गो के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा

Scanned with CamScanner

## अनु० 338 B पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग - (National Commission for Backward classes)

(1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

**आयोग का गठन** - अनु० 338 B (2) संसद द्वारा इस निमित्त बनायी गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किये गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि ऐसी हो, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

**आयोग के कार्य (Function of the commission)**

अनु० 338 B (5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह -

(क) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

Scanned with CamScanner

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;
(ङ) ऐसे रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने चाहिये तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और
(च) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे कृत्यों का निर्वहन करे, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

**आयोग की प्रक्रिया और शक्ति (Procedure and Power)**

अनु० 338 B-(4) आयोग को अपनी कार्यवाहियों को विनियमित करने की अर्थात प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

अनु० 338 B-(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जाँच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, वे सभी शक्तियाँ हों जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं अर्थात :-
(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;
(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

अनु० 338 B-(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

Scanned with CamScanner